संख्या-184/2018/2903/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त-2018

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-पचपेड़वा में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-437/69/ज.जा.वि./निर्माण/2017-18, दिनांक-07.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-पचपेड़वा में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार आंकलित कुल धनराशि रू0-2029.037 लाख (रू0-बीस करोड़ उन्तीस लाख सैतीस हजार मात्र) के प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-1050.79 लाख (रू0-दस करोड़ पचास लाख उन्नासी हजार मात्र) (लेशाखीर्षक-4225-02-796-04-24 वृहद निर्माण मद में से धनराशि रू0-359.22 लाख एवं लेखाशीर्षक-4225-02-796-05-24 वृहद निर्माण मद में से धनराशि रू0-691.57 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-रू0-1050.79 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई (मीटर में)	कार्य की लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	जनजाति ग्राम मोतीपुर में पिच रोड निर्माण का कार्य।	700	54.837	34.00
2	जनजाति ग्राम रमवापुर धुबौलिया में राम प्रसाद के मुर्गी फार्म से तिलक राम के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	700	75.545	40.00
3	जनजाति ग्राम धुबौलिया रेहरा में अशोक प्रधान के घर से चैराहे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	700	66.27	40.00
4	जनजाति ग्राम रमवापुर धुबौलिया में धनीराम चैहान के घर से दुसहरण पाठक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	400	43.206	33.00
5	जनजाति ग्राम धुबौलिया में धुबौलिया चैराहे से धर्मेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	700	75.51	40.00
6	जनजाति ग्राम धुबौलिया में अहमदयार नाऊ के घर से पूरब नदी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	53.950	40.00
7	जनजाति ग्राम सेमरहवा में सालिक राम के घ्र से पूरब जंगल तक इण्टरलांिकंग रोड का निर्माण कार्य।	800	86.325	50.00
8	जनजाति ग्राम सेमरहवा में दूधनाथ के घर से सहाबुदीन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	800	86.325	50.00
9	जनजाति ग्राम सेमरहवा में सेमरहवा के पश्चिम से पूरब रमवापुर रोड तक पिच रोड।	800	65.62	35.62
10	जनजाति ग्राम सेमरहवा में बुधिराम के	300	32.426	22.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	घर से पूरब रामभरोसे के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।			
11	जनजाति ग्रम सेमरहवा में दूधराम के घर से दक्षिण जंगल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	400	43.206	30.00
12	जनजाति ग्राम फौगई भुसहर में सामुदायिक भवन से जंगल तक तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उत्तर जंगल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	900	97.087	50.00
13	जनजाति ग्राम फौगई भुसहर में फौगई पश्चिम से भुसहर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1300	105.89	60.00
14	जनजाति ग्राम भुसहर में भुसहर उचई में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	800	86.99	46.99
15	जनजाति ग्राम रजडेरवा थारू में नाले से पश्चिम पंचायत भवन तक पिच रोड निर्माण का कार्य।	1300	105.75	60.00
16	जनजाति ग्राम रजडेरवा थारू में रजडेरवा थारू में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	58.38	38.18
17	जनजाति ग्राम बनकटवा थारू में बनकटवा थारू गांव के पूरब से विदयासागर के घर होते हुए पश्चिम उत्तर जंगल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	800	86.29	50.00
18	जनजाति ग्राम बनकटवा थारू में सत्यदेव के घर से दक्षिण जंगल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	700	75.51	50.00
19	जनजाति ग्राम मोतीपुर सेमरी में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	1500	163.065	50.00
20	जनजाति ग्राम रजहना पंचायत भवन से उत्तर नदी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	600	75.015	50.00
21	जनजाति ग्राम भौरीसाल में भौरीसाल में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य।	3000	218.90	59.00
22	जनजाति ग्राम भगवानपुर कोडर में सकडी सकडा गांव में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3000	184.95	50.00
23	जनजाति ग्राम भगवानपुर कोडर में विशुनपुर विश्राम से भगवानपुर कोडर तक पिच रोड लेपन कार्य।	700	22.455	22.00
24	जनजाति ग्राम भगवानपुर कोडर में सोनपुर पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हुए मुख्य सड़क तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	800	65.535	50.00
	कुल योग (लाख में)		**2029.037**	**1050.79**

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0,'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(9)-आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के साथ होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04- अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य'' एवं लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय- 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जनजातियों बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-184/2018/2903/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in